



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268956
CG-DL-E-31122025-268956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5917]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5917]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6117(अ).— यतः, मै आंध्र प्रदेश इन्डस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ने आंध्र प्रदेश राज्य में हिल नंबर -3, गाँव मधुरावाडा, विशाखापत्तनम ग्रामीण मंडल, विशाखापत्तनम जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित/अनधिसूचित किया था;

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अतिरिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	का.आ. 2160(अ) दिनांक 28.12.2006	36	-	-	36
2.	का.आ. 3507(E) दिनांक 16.12.2015	-	-	6.37	29.63

3.	का.आ. 3140(E) दिनांक 20.06.2018	-	1.62	-	31.25
----	---------------------------------	---	------	---	-------

और यतः मैं मैं आंध्र प्रदेश इन्डस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त विशेष आर्थिक जोन में 0.31 हेक्टेयर के क्षेत्र शामिल करने और 11.59 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 0.31 हेक्टेयर को अधिसूचित और 11.59 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 19.97 हेक्टेयर हो जाएगा। अधिसूचित / अनधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	मधुरवाड़ा	410	0.31
कुल			0.31

अनधिसूचना क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	मधुरवाड़ा	410	11.59
कुल			11.59
अतिरिक्त एवं अनधिसूचित के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			(31.25+0.31-11.59) 19.97

[फा. सं. एफ.2/61/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2025

S.O. 6117(E).— Whereas, M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up an IT/ITES SEZ at Hill No. 3, Village Madhurawada Visakhapatnam Rural Mandal, Visakhapatnam District, in the State of Andhra Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table:-

Sl. No.	Notification No. and Date	Notified Area (in Hectares)	Addition (area in Ha)	De-notification (area in Ha)	Total resultant area (Ha)
1.	S.O.2160(E) dated 28.12.2006	36	-	-	36
2.	S.O.3507(E) dated 16.12.2015	-	-	6.37	29.63
3.	S.O.3140 (E) dated 20.06.2018	-	1.62	-	31.25

AND, WHEREAS, M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited, has now proposed to include an area of 0.31 hectares and decrease an area of 11.59 hectares from the above Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby adds an area of 0.31 hectares and de-notifies an area 11.59 hectares thereby making resultant area as 19.97 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely: -

TABLE FOR ADDITIONAL AREA

S. No.	Village	Survey No	Area to be notified (in Hectares)
1.	Madhurawada	410	0.31
Total			0.31

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

S. No.	Village	Survey No	Area to be notified (in Hectares)
1.	Madhurawada	410	11.59
TOTAL			11.59
Grant total area of SEZ after above addition and part de-notification			(31.25+0.31-11.59) 19.97

[F. No. F.2/61/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.